<u>नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण (विसबल)</u>

<u>ज्वाईनिंग निर्देश</u>

1. **<u>प्रशिक्षण में उपस्थिति</u>** :- प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिये एक दिवस पूर्व अनिवार्य रूप से महेशगार्ड स्थित सूबेदार मेजर कार्यालय में अपने-अपने रवानगी पत्रक के साथ उपस्थित होना होगा ।

2. **<u>वेशभूषा</u>- (अ) <u>प्रशिक्षण आरम्भ के समय लाई जाने वाली सामग्री</u> -**
   1. फुलकिट, समस्त वेब इक्यूपमेन्ट स्केल ए व बी सहित
   2. एंकलेट-02जोड़,
   3. खाकी मोजे- 02जोड़,
   4. खाकी (सूती) नेकर - 4 नग,
   5. सम्पूर्ण वर्किंग ड्रेस(टेरीकॉट-पैन्ट, शर्ट)-02 नग
   6. जनरल परेड के लिये (खाकी टेरीकॉट पैन्ट-02,शर्ट-02),
   7. पीटी. ब्राउन शू- 02 जोड़,
   8. सफेद टी शर्ट - 02 नग,
   9. जंगलबूट -02 जोड़,
   10. जंगल हैट-01 नग,
   11. एम्युनेशन बूट - 02 जोड़,
   12. ट्रेकसूट (ब्ल्यू.)
   13. टेरीकॉट वर्दी (कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु) 02 जोड़
   14. सफेद बनियान अस्तीन वाली (कालर)- 04 नग
   15. मुफ्ती ड्रेस स्काई ब्ल्यू शर्ट,
   16. ग्रे कलर की पैन्ट

(ब) <u>मिडटर्म ब्रेक के समय लाई जाने वाली सामग्री</u> -1. टेरीकॉट वर्दी, पीओपी. के लिये (ग्रवीरा वीन्टेड सेड नं0 0433, क्वालिटी नम्बर 009051), 2. नेव्ही ब्ल्यू-ब्लेजर (पुलिस पेटर्न) 3. टाई (ओआर. पेटर्न)

3. **<u>मैस एडवान्स</u>** - प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी मैस व्यवस्था के रूप में रूपये 7,000/- भोजन व्यवस्था हेतु जमा कराना होंगे । प्रतिमाह भोजन पर व्यय राशि प्रशिक्षणार्थियों से वसूल की जावेगी ।

4. आर्म्स/एम्युनेशन - प्रत्येक नव आरक्षक कों अपने साथ 7.62 एमएम एसएलआर.-01 नग मय बैनट एवं 5.56इन्सास रायफल प्रति ट्रेनिज एक तथा एसएलआर के 50 राउण्ड एवं ड्रिल काट्रीज 05 नग एवं इसके अतिरिक्त प्रति 10 नवआरक्षकों पर एक 7.62 एलएमजी. तथा 10 से अधिक नव आरक्षक होने पर दो 7.62 एलएमजी. साथ में लाना अनिवार्य है ।

5. **मेडिकल प्रमाण पत्र**-प्रशिक्षणार्थियों का इकाई में मेडिकल कराया जाकर मेडिकल फिट प्रशिक्षणार्थियों को मेडिकल प्रमाण-पत्र, ब्लड ग्रुप के साथ प्रशिक्षण में भेजना सुनिश्चित करें ।

6. **अन्य** - प्रशिक्षणार्थियों को इन्डोर क्लास हेतु राईटिंग मटेरियल, लाईट बेडिंग, मच्छरदानी, सफेद चादर- 02 नग, परिचय पत्र एवं पासपोर्ट साईज फोटो 02 नग साथ में लाना अनिवार्य है । यदि इकाई में आकस्मिक अवकाश का लाभ लिया है तो अवकाश विवरण भी भेजें ।

7. **परिचय पत्र** - नवआरक्षक प्रशिक्षणार्थियों के साथ परिचय पत्र अनिवार्य रूप से भेजा जावे जिससे व्हीआईपी. ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान कठिनाई उत्पन्न न हो ।

8. **वेतन भत्ता** - प्रशिक्षण में आने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को अनिवार्य रूप से बैंक खाता खोलकर उनका एटीएम. कार्ड तैयार कर प्रशिक्षणार्थियों के साथ अनिवार्य रूप से दिया जावे । जिससे उन्हें राशि भुगतान करने में कोई असुविधा उत्पन्न न हो ।

9. **व्यक्तिगत परिचय** - प्रशिक्षण में आने वाले समस्त प्रशिक्षणार्थियों की सेवा पुस्तिका के आधार पर व्यक्तिगत परिचय जैसे - प्रशिक्षणार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, भर्ती दिनांक, स्थाई पता मय थाना, ब्लड ग्रुप, शैक्षणिक योग्यता, जाति वर्ग स्पष्ट रूप से भेजना सुनिश्चित करें ।

10. **अवकाश** - प्रशिक्षण के दौरान विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश नहीं दिया जावेगा ।

11. **सम्पर्क सूत्र**-प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक जानकारी दूरभाष क्रमांक 0731-2419771 मुख्य कार्यालय, 0731-2419310 सूबेदार मेजर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।